न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 05 / 2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
खेताराम पुत्र भींयारामजी जाति–मेघवाल, निवासी–लालपुरा तहसील–चितलवाना, जिला–सांचौर (राजस्थान)		1 ओख कंवर पत्नी नरपतसिंह जाति–राजपुत, निवासी–गेना का गोलिया, पटवार हल्का–जाखल, जिला–सांचौर, (राजस्थान) 2 तहसीलदार (भूमिधारी) सांचौर, जिला सांचौर, (राजस्थान)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजु :– 07.08.2024

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार पुरोहित उपस्थित।
2. अप्रार्थीया संख्या 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रतापाराम बिश्नोई उपस्थित, ईकबाली जवाब पेश।
3. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांक :– 13.08.2024

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि ग्राम गेना का गोलिया, पटवार हल्का–जाखल, तहसील–सांचौर में प्रार्थी के खातेदारी की आराजी नवीन खसरा नंबर 1934 / 1288 रकबा 0.60 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम की स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। उक्त भूमि में आने जाने हेतु कोई रेकर्डेड रास्ता नहीं है। उक्त भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थीया ओखकंवर पत्नी नरपसिंहजी, जाति–राजपुत, निवासी–गेना का गोलिया के वांके ग्राम–गेना का गोलिया, पटवार हल्का–जाखल में स्थित नवीन खेत खसरा नंबर 1931 / 1288 रकबा 0.1140 हैक्टेयर में से होकर 10 मीटर चौड़ा व 20 मीटर लंबा रास्ते की प्रार्थी को आवश्यकता है, जिसे प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट–अ में लाल स्याही से मार्क 'ए' से 'बी' दर्शाया है। उक्त रास्ता की भूमि प्रार्थी के आने जाने के लिए आवागमन की सुविधा हेतु सुलभ, उपयुक्त एवं सुविधाजनक है तथा इसके अलावा प्रार्थी के पास अपने खेत में आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.09.06 16:19:14 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी के खातेदारी की भूमि मौजा गेना का गोलिया, पटवार हल्का–जाखल में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित भूमि में आवागमन करने हेतु मौके पर कोई रेकर्डेड रास्ता नहीं है। प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट–अ में लाल स्याही से मार्क 'ए' से 'बी' दर्शाया गया रास्ता प्रार्थी के उक्त खसरा नंबर की भूमि में आवागमन करने का सुविधाजनक रास्ता है। प्रार्थी को अपने उक्त खेत में आवागमन करने हेतु रास्ते की आवश्यकता है जो प्रार्थी कानूनीया

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थीया के खेत खसरा संख्या 1931/1288 रकबा 0.1140 हैक्टेयर में से 10 मीटर चौड़ा व 20 मीटर लंबा रास्ता लेने हेतु अधिकारी है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाकर प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट–अ में लाल स्याहीं से दर्शित मार्क 'ए' से 'बी' अनुसार 10 मीटर चौड़ा रास्ता रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश देने की कृपा करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जरिये अधिवक्ता ईकबाली जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण का अवतरण संख्या 1 एवं 2 सही होने से स्वीकार है। प्रस्तावित भूमि की एवज में मुआवजा/प्रतिफल राशि प्राप्त हो चुकी है अतः प्रार्थी का रास्ते का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाता है तो मुझ अप्रार्थीया को कोई आपत्ति अथवा एतराज नहीं है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थीगण से रास्ते की मांग हेतु आवेदन दिनांक 07.08.2024 को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा गेना का गोलिया, पटवार मण्डल–जाखल में स्थित है। प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित भूमि में आवागमन करने हेतु मौके पर कोई रेकर्डेड रास्ता नही है। प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ठ'अ' में लाल स्याही से मार्क 'ए' से 'बी' दर्शाया गया रास्ता प्रार्थी के उक्त खसरा नंबर की भूमि में आवागमन करने का सुविधाजनक रास्ता है। प्रार्थी को अपने उक्त खेत में आवागमन करने हेतु रास्ते की आवश्यकता है जो प्रार्थी कानुनीया अप्रार्थीया के खेत खसरा संख्या 1931/1288 रकबा 0.1140 हैक्टेयर में से 10 मीटर चौड़ा व 20 मीटर लम्बा रास्ता लेने का हकदार है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाकर संलग्न नक्शा परिशिष्ठ'अ' में लाल स्याही से दर्शित मार्क 'ए' से 'बी' अनुसार 10 मीटर चौड़ा रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने हेतु आदेश प्रदान करावें। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, नक्शा किस्तवार, जमाबंदी एवं नक्शा परिशिष्ठ'अ' का गहनता से अध्ययन व अवलोकन कर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया।

रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251'क' में कानुनी प्रावधान है कि रास्ता इसी दशा में स्वीकृत किया जा सकता है जबकि उसकी आत्यांतिक आवश्यकता हो, साथ ही कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो अतएवः प्रार्थी की आवश्यकता आंत्यातिक है। अप्रार्थीया संख्या 1 द्वारा ईकबाली जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार अप्रार्थीया को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के अवतरण संख्या 1 व 2 स्वीकार है तथा प्रस्तावित भूमि की एवज में अप्रार्थीया को मुआवजा/प्रतिफल राशि भी प्राप्त हो चुकी है [illegible] प्रार्थी स्वीकार करने में अप्रार्थीया को कोई आपत्ति अथवा एतराज नहीं है। [illegible] अप्रार्थीया संख्या 1 का गहनता से अवलोकन व अध्ययन किया। अप्रार्थीया के [illegible] एतराज नहीं होने से खसरा संख्या 1934/1288 के आवागमन हेतु आवेदित रास्ता जिसकी मांग खसरा संख्या 1931/1288 रकबा 0.1140 हैक्टेयर में से की गई है जो सबसे सुलभ, उपयुक्त, नजदीक एवं सुविधाजनक है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि मौजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.09.06 16:19:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

गेना का गोलिया, पटवार मण्डल–जाखल के खसरा संख्या 1934/1288 रकबा 0.60 हैक्टेयर में आवागमन हेतु खसरा संख्या 1931/1288 रकबा 0.1140 हैक्टेयर में से 10 मीटर चौड़ा व 20 मीटर लम्बा रास्ते हेतु अप्रार्थीया की खातेदारी भूमि से कम करते हुए सार्वजनिक रास्ता घोषित करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित व विधि संगत समझते है।

:– आदेश :–

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने तथा सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। मौजा गेना का गोलिया, पटवार मण्डल–जाखल के खसरा संख्या 1931/1288 रकबा 0.1140 हैक्टेयर में से खसरा संख्या 1934/1288 के खातेदार को निकटतम रास्ता हेतु 10 मीटर चौड़ा व 20 मीटर लम्बा रास्ता हेतु भूमि अभिघृति निर्वापित करते हुए इसका रकबा अप्रार्थीया की खातेदारी भूमि से कम करते हुए इसे सार्वजनिक रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 70(1)(ii)क के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद कर भौतिक रूप से मौके पर सीमांकन कर स्वीकृत रास्ता चालु करावें। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीया संख्या 1 को उक्त रास्ता प्रयोजनार्थ खातेदारी से कम की भूमि हेतु प्रतिफल राशि का भुगतान किया जा चुका है। तहसीलदार सांचौर को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

निर्णय आज दिनांक 13.08.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.09.06 16:19:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner